कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार पटना

संख्या:-स्थापना(ले०प०)/कोविड-19/21-22/ग-52 दिनांक:-23.05.2021

कार्यालय आदेश

कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया है। तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश ज्ञापांक सं०-11013/9/2014-Estt.A.III दिनांक 22.04.2021 के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के आलोक में इस कार्यालय के सभी अधिकारीगण तथा कर्मिगण को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.05.2021 से कार्यालय परिसर के टीकाकरण स्थल पर कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। दिनांक 24 एवं 25 मई (2 दिन) को COVAXIN का केवल Second dose दिया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना द्वारा सूची जारी की गई है जिसके अनुसार सभी वैक्सीन लेना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात दिनांक 26 मई से Vaccination का First dose दिया जाएगा।

First dose हेतु अपना रेजिस्ट्रेशन https:/selfregistration.cowin.gov.in/ पर करके message/screen shot, आधार कार्ड के साथ टीकाकरण हेतु लाना होगा। रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर AMS अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं ।

कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मियों का टीकाकरण सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात उनके परिवार वालों के टीकाकरण हेतु भी व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा। टीकाकरण कराने हेतु यदि कोई इक्छुक नहीं हैं अथवा निर्धारित टोकन समय पर आने में असमर्थ हैं, तो इस संबंध में वह अपना लिखित आवेदन टीकाकरण प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व प्रशासन अनुभाग में या WhatsApp number 9430311785 पर भेज सकते हैं।

टीकाकरण कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से आयोजित किए जाने हेतु सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

ह०/-

उपमहालेखकर (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना ।
2. सभी स्कन्ध अधिकारीगण (लेखापरीक्षा) का सचिवालय ।
3. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ।
4. सभी सूचना पट्ट /सभी व्हाट्सअप्प ग्रुप ।

ह०/-

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन)